न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट –तृतीय जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 113/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेन्द्र बूसर प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री राजेश सैनी पुत्र श्री ओमप्रकाश सैनी प्लाट न. एस–4, आचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 11.04.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कृष्ण चंद्र यादव अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर प्रथम श्री राजेन्द्र बूसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी राजेश सैनी पर दिनांक 28.03.2017 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 11 घरेलू सिलेण्डर (9 बीपीसी व 2 आईओसी) मय एलपीजी 129.500 किग्रा. को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 21.12.2021 को अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द यादव ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 24.02.2022 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया, जिस पर बहस हेतु तारीख पेशी दिनांक 10.03.2022 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने का कथन किया तथा आदेशिका पर लिखित में सहमति व्यक्त की। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 04.04.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.2017 को अप्रार्थी के निवास स्थान के पिछवाडे, जहां अप्रार्थी का गेट खुलता है, पर जांच कार्यवाही कर कुल 11 घरेलू सिलेण्डर (9 बीपीसी व 2 आईओसी) मय एलपीजी जब्त किये गये तथा मौके पर अप्रार्थी ने उक्त सिलेण्डर स्वयं के बताये है, किन्तु जवाब प्रार्थना पत्र में स्वयं का नहीं होना बताया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 11 घरेलू सिलेण्डर (9 बीपीसी व 2 आईओसी) मय एलपीजी 129.500 किग्रा. शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। .नेर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर